अभय कुमार,
सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई, गया।

समाहरणालय, गया
(जिला बाल संरक्षण इकाई)

District Child Protection Unit,
Zila Prishad Campus, Gaya
Email-adcpu-gaya.bih@gov.in
ADCP Mob-9835657900

पत्रांक–1017/ जि0बा0सं0इ0 / 2026, दिनांक–18/11/2026

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
गया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– पॉक्सों अधिनियम, 2012 की धारा–39 के तहत सहायक व्यक्तियों (Support Person) के विज्ञापन से संबंधित सूचना गया एवं पटना संस्करण अखबार में प्रकाशित करने के संबंध में।

प्रसंगः– सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–749, दिनांक–24.04.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि पॉक्सों अधिनियम, 2012 की धारा–39 के तहत सहायक व्यक्तियों (Support Person) को सूचिबद्ध किया जाना है, इससे संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन गया एवं पटना संस्करण अखबार में किए जाने हेतु कार्यालय पत्रांक–769, दिनांक–10.09.2026 द्वारा पत्र भेजा गया था परन्तु विज्ञापन नहीं हो पाया। ज्ञातव्य हो कि SNA Sparsh के माध्यम से Payee ID- 6590OA में 50,000 (पचास हजार रूपया) जमा किया गया है, शेष राशि का भुगतान आवंटन प्राप्त होने पर कर दिया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन का प्रकाशन गया एवं पटना संस्करण अखबार (दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान) में कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

18/11/26
सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
गया।

समाहरणालय, गया।

(जिला बाल संरक्षण इकाई)

विज्ञापन सं0–01/2026

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के मार्गदर्शिका ज्ञापांक–748, दिनांक–24.04.2026 एवं पत्रांक–749, दिनांक –24.04.2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सों नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों का अस्थायी पदों पर सूचीबद्धता (Empanelment) करने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है।

Sl. No	Name of post	Number of Post	Category (रिक्त पदों की सं0)	Minimum educational Qualification	Work Experience	Age	Remuneration
1	सहायक व्यक्ति	35	अनुसूचित जाति/जनजाति–9 (महिला हेतु आरक्षित–3) पिछड़ा/अतिपिछड़ा–7 (महिला हेतु आरक्षित–3) अल्पसंख्यक–7 (महिला हेतु आरक्षित–3) अन्य/सामान्य–12 (महिला हेतु आरक्षित–5)	सामाजिक कार्य (MSW)/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर या बाल अधिकार/परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ–साथ तीन वर्ष का कार्य अनुभव।	बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/ सामाजिक कार्य/बाल मनोविज्ञान परामर्शदाता /समाजशास्त्र/ मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम–से–कम तीन वर्ष का वांछनीय कार्य अनुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार/बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/ किशोर न्याय बोर्ड/पॉक्सो न्यायालय अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।	न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष (राज्य में बाल कल्याण समिति के सदस्य के चयन हेतु निर्धारित उम्र सीमा लागू होगी)	9000/– (नौ हजार रूपये मात्र) प्रति पॉक्सो वाद पर देय होगा (तीन किस्तों में)

1. भारत के नागरिक होना चाहिए।
2. गया जिले का निवासी होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी का पूर्ववर्ती इतिहास स्वच्छ होना चाहिए। इनके विरूद्ध भारत में कही भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं रहना चाहिए। वे कभी भी नैतिक दुराचार (Moral Turpitude) दोषी नहीं हों। इस आशय का उन्हें शपथ–पत्र समर्पित करना होगा।
4. बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
5. उपरोक्त पद पॉक्सो मामले पर अधारित अस्थायी (दो वर्ष के लिए सूचीबद्धता किया जाएगा) पद होंगे।
6. विज्ञापन की विवरणी एवं विहित प्रपत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से जिला प्रशासन, गया के बेवसाइट https:// gaya.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
7. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों तक निबंधित डाक/ई–मेल (adcpu-gaya.bih@gov.in) से आवेदन पत्र निम्न पते पर भेजें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

पता :– सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई जिला परिषद् के परिसर अम्बेडकर मार्केट के सामने, गया, पिन–823001

8. आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, अंक प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, एवं आवासीय प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।
9. आयु की गणना 01.05.2026 से की जाएगी।
10. अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता एवं चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
11. साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा।
12. साक्षात्कार की तिथि की सूचना एवं सहायक व्यक्तियों का सेवा एवं कर्त्तव्य से संबंधित मार्गदर्शिका जिला बाल संरक्षण इकाई, गया के कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला प्रशासन, गया के बेवसाइट https:// gaya.nic.in पर प्रदर्शित रहेगा।
13. उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा–साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मनोनयन सूची आदि का प्रकाशन समय–समय उक्त बेवसाइट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा।
14. किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, गया के पास सुरक्षित रहेगा।
15. उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण–पत्र देने पर उनका मनोनयन कभी भी रद्द किया जा सकता है।
16. कार्य करने के दौरान प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर मनोनयन कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

10/09/26

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
गया।